



Neutral Citation No. - 2026:AHC-LKO:1015

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 482 संख्या - 6200/2025

सुश्री सपना उर्फ सपना चौधरी

..... आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य जरिए प्रमुख गृह सचिव लखनऊ एवं अन्य

..... विपक्षी

आवेदक की ओर से अधिवक्ता : केशव प्रसाद, अनुराग प्रताप सिंह, सुश्री प्रीति सिंह, राधा गौतम

विपक्षी की ओर से अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 12

माननीय न्यायमूर्ति पंकज भाटिया

निर्णय

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता सुश्री प्रीति सिंह के साथ-साथ विद्वान ए.जी.ए. और श्री एस.बी. पांडे, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता और डी.एस.जी.आई. को सुना, जिनकी सहायता विपक्षी संख्या 3 व 4 के विद्वान अधिवक्ता श्री वरुण पांडेय ने की।

2. वर्तमान आवेदन द0प्र0सं0 की धारा 482 के तहत दायर किया गया है, जिसमें 30.06.2025 के एक आदेश को चुनौती दी गई है, जिसके तहत पासपोर्ट के नवीनीकरण के लिए एनओसी प्रदान करने और आवेदक को विदेश यात्रा करने की अनुमति देने के लिए आवेदन के अनुरोध को मुख्य रूप से इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि आवेदक ने यात्रा की विशिष्ट अवधि जैसे विदेश यात्रा के लिए न्यायालय से अनुमति प्राप्त करने के लिए प्रासंगिक

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



कोई दस्तावेज दाखिल नहीं किया है। वह देश जहां आवेदक यात्रा करना चाहता है या किसी अन्य उद्देश्य के लिए।

3. उपरोक्त के आलोक में, आवेदक के अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक एक मंच कलाकार है और भारत के पूरे क्षेत्र में और भारत के बाहर भी विभिन्न स्टेज शो में प्रदर्शन करता है जिसमें आवेदक को आमंत्रित किया जाता है। यह तर्क दिया जाता है कि एक प्रदर्शन के संबंध में, जो लखनऊ में आयोजित होने वाला था, जिसमें आवेदक को प्रदर्शन करना था, हालांकि, उक्त शो को रद्द कर दिया गया था, जिसके कारण 2018 के केस क्राइम संख्या 621 के साथ धारा 406, 420 भा0द0सं0, पुलिस स्टेशन आशियाना, जिला लखनऊ के तहत एफआईआर दर्ज की गई। आवेदक को आदेश के माध्यम से जमानत पर रिहा कर दिया गया था, जो रिकॉर्ड में है, जिसमें आवेदक द्वारा न्यायालय की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ने के संबंध में कोई शर्त नहीं लगाई गई थी। यह तर्क दिया जाता है कि उक्त प्रकरण के लंबित होने को देखते हुए, आवेदक को पासपोर्ट अधिनियम के तहत जारी कार्यालय जापन के संदर्भ में संबंधित अवर न्यायालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक था और आक्षेपित आदेश पारित किया गया।

4. आवेदक के अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि आवेदक को भारत के बाहर प्रदर्शन के लिए प्रस्ताव प्राप्त होता है, हालांकि, आम तौर पर शर्तें यह होती हैं कि आवेदक के पास वैध यात्रा पासपोर्ट होना चाहिए, ऐसा न करने पर आवेदक को भारत के बाहर प्रदर्शन के लिए किसी भी असाइनमेंट की पेशकश करने की संभावना नहीं है। आगे यह तर्क दिया जाता है कि 2018 के केस क्राइम संख्या 621 के माध्यम से आवेदक के खिलाफ दर्ज प्रकरण सीधे तौर पर आवेदक को भी नहीं फंसाता है क्योंकि आवेदक को स्टेज परफॉर्मर के रूप में प्रदर्शन करने के लिए कहा गया था और रद्दीकरण आवेदक की शक्तियों से परे था। यह भी तर्क दिया गया है कि एनओसी से इनकार करने के मद्देनजर, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत विदेश यात्रा के लिए पासपोर्ट से न केवल वंचित है, बल्कि आवेदक के आजीविका कमाने के अधिकारों का भी उल्लंघन करता है। यह भी तर्क दिया जाता है कि आवेदक के दो बच्चे हैं और भारत के भीतर पर्याप्त संपत्ति है और यह सुझाव देने के लिए कोई सामग्री मौजूद नहीं है कि आवेदक उड़ान जोखिम में होगा।

5. जहां तक प्रकरण के लंबित होने की स्थिति का संबंध है, यह तर्क दिया जाता है कि यह सुझाव देने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि प्रकरण आगे बढ़ रहा है और निकट भविष्य में



समाप्त होने की कोई संभावना नहीं है, इस प्रकार, यह तर्क दिया जाता है कि आक्षेपित आदेश को रद्द करने के योग्य है और/या दस साल की नियमित अवधि के लिए पासपोर्ट के नवीनीकरण के लिए निर्देश जारी किए जाने चाहिए, जिस भी शर्त पर यह न्यायालय उचित समझती है (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, इसके लिए यह निर्धारित किया गया है कि आवेदक को दिए गए अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

6. पासपोर्ट अधिनियम में निहित प्रावधानों के आलोक में भारत संघ के अधिवक्ता का तर्क है कि निहित पासपोर्ट के नवीनीकरण का कोई स्वतंत्र अधिकार नहीं है और यह पासपोर्ट अधिनियम की धारा 6(2) में निहित प्रतिबंधों के अधीन है। यह तर्क दिया जाता है कि विभिन्न न्यायालयों द्वारा जारी निर्देशों के संदर्भ में, पासपोर्ट अधिनियम की धारा 6 (2) के तहत निर्धारित शर्तों की गंभीरता को उदार बनाया गया था और 25.08.1993 की अधिसूचना के माध्यम से भारत संघ द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापनों के माध्यम से कम किया गया था और दिनांक 10.10.2019 की अधिसूचना द्वारा और स्पष्ट किया गया था। यह तर्क दिया जाता है कि उक्त कार्यालय ज्ञापन के आलोक में, आवेदक के आवेदन को नीचे की न्यायालय द्वारा सही ढंग से खारिज कर दिया गया है और किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

7. प्रत्युत्तर में, आवेदक के अधिवक्ता ने अलग-अलग आदेशों के माध्यम से पासपोर्ट के नवीनीकरण/पुनः जारी करने के लिए आवेदक के आवेदन पर विचार करने के लिए इस न्यायालय द्वारा पारित दो पहले के आदेशों की ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया है। आगे यह तर्क दिया जाता है कि मौजूदा वैश्विक परिदृश्य को देखते हुए, आयोजक कभी-कभी इस बात पर जोर देते हैं कि कलाकार और टीम के पास वैध पासपोर्ट होना चाहिए और इस प्रकार, समय के पूर्व बिंदु पर आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करना हमेशा संभव नहीं हो सकता है। आगे यह तर्क दिया जाता है कि आवेदक के खिलाफ लंबित प्रकरण वर्ष 2018 का है, यह प्रदर्शित करने के लिए कोई सामग्री मौजूद नहीं है कि निकट भविष्य में प्रकरण के समाप्त होने की संभावना है। उक्त एफआईआर में भी आवेदक के खिलाफ कोई विशेष आरोप नहीं है। यहां तक कि आवेदक को दी गई जमानत भी भारत नहीं छोड़ने की कोई शर्त नहीं रखती है।

8. विभिन्न देशों में प्रदर्शन करने के लिए विदेश यात्रा करने के लिए आवेदक की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, प्रथम दृष्टया, यह सुझाव देने के लिए कोई सामग्री मौजूद नहीं है कि आवेदक उड़ान जोखिम में होगा या पासपोर्ट के पुनः जारी करने/नवीनीकरण के लिए उसके आवेदन



पर आवेदक के किसी भी प्रतिकूल आचरण की अनुपस्थिति को ध्यान में रखते हुए विचार नहीं किया जाना चाहिए। आवेदक का प्रकरण 2018 से लंबित है, स्पष्ट रूप से पासपोर्ट जारी न करने/प्रदान न करने के कारण उसके अधिकारों का उल्लंघन केवल इसलिए किया जाता है क्योंकि कोई दस्तावेज दाखिल नहीं किया गया है, विदेश यात्रा के अनुरोध को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है जैसा कि आक्षेपित आदेश में किया गया है।

9. आगे यह तर्क दिया जाता है कि दिनांक 30.06.2025 को लगाया गया आदेश अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 19 का उल्लंघन करने के साथ-साथ शासकीय आदेशों के साथ-साथ कार्यालय ज्ञापन के जनादेश के विपरीत है, इसे कायम नहीं रखा जा सकता है और रद्द नहीं किया जा सकता है।

10. पासपोर्ट रखने के अधिकार के संबंध में मुद्दे पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **महेश कुमार अग्रवाल बनाम भारत संघ और अन्य: 2025 आईएनएससी 1476** के प्रकरण में विधिवत विचार किया गया था, जिसमें निम्नलिखित टिप्पणियां की गई थीं:

2. हमारी संवैधानिक योजना में स्वतंत्रता राज्य का उपहार नहीं है, बल्कि इसका पहला दायित्व है। कानून के अधीन, किसी नागरिक की आने-जाने, यात्रा करने, आजीविका और अवसर प्राप्त करने की स्वतंत्रता भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटी का एक अनिवार्य हिस्सा है। राज्य, जहां कानून न्याय, सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के हितों में उस स्वतंत्रता को प्रदान करता है, विनियमित या नियंत्रित कर सकता है, लेकिन इस तरह के संयम को संकीर्ण रूप से उस चीज़ तक सीमित होना चाहिए जो आवश्यक है, प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के अनुपात में है, और स्पष्ट रूप से कानून में लंगर डाले हुए हैं। जब प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों को कठोर बाधाओं में बदल दिया जाता है, या अस्थायी विकलांगता को अनिश्चितकालीन बहिष्करण में कठोर होने दिया जाता है, तो राज्य की शक्ति और व्यक्ति की गरिमा के बीच संतुलन गड़बड़ा जाता है, और संविधान के वादे को खतरे में डाल दिया जाता है।

8. पासपोर्ट अधिनियम की धारा 5, 6, 7 और 8 के संयुक्त रूप से पढ़ने से, एक संरचित योजना उभरती है। धारा 5 प्रारंभिक बिंदु है। यह उस तरीके को निर्धारित करता है जिसमें पासपोर्ट के लिए आवेदन किया जाना है और पासपोर्ट प्राधिकरण को, अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अधीन, एक लिखित आदेश के माध्यम से पासपोर्ट जारी या अस्वीकार करके

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आवेदन पर निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। धारा 6 उस शक्ति को योग्य बनाती है और एक विस्तृत तरीके से उन आधारों को निर्धारित करती है जिन पर पासपोर्ट प्राधिकरण पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज जारी करने से इनकार करेगा। उप-धारा (1) विशेष देशों के लिए समर्थन से इनकार करने से संबंधित है। उप-धारा (2) स्वयं जारी करने से इनकार करती है और फिर से इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अधीन शब्दों से शुरू होती है। यह प्राधिकरण को उस मुद्दे से इनकार करने के लिए बाध्य करता है जहां खंड (a) से (i) में कोई भी स्थिति मौजूद है, जिसमें खंड (f) के तहत भारत में एक न्यायालय के समक्ष आपराधिक कार्यवाही का लंबित होना भी शामिल है। धारा 7 तब पासपोर्ट की अवधि को संबोधित करती है। इसमें यह प्रावधान है कि पासपोर्ट निर्धारित अवधि के लिए लागू रहेगा, लेकिन यह भी प्राधिकरण को आवेदक को लिखित रूप में सूचित किए जाने के कारणों के लिए उपयुक्त प्रकरण में कम अवधि के लिए पासपोर्ट जारी करने की अनुमति देता है। धारा 8 विपरीत स्थिति से संबंधित है जहां पासपोर्ट पहले ही छोटी अवधि के लिए जारी किया जा चुका है। यह इस तरह के पासपोर्ट के विस्तार की अनुमति देता है, लेकिन स्पष्ट रूप से बताता है कि अधिनियम के प्रावधान इस तरह के विस्तार पर लागू होंगे क्योंकि वे पासपोर्ट के मुद्दे पर लागू होते हैं, जिससे विस्तार को उन्हीं वैधानिक शर्तों और सीमाओं से जोड़ा जाता है जो धारा 5 और 6 के तहत मूल मुद्दे को नियंत्रित करते हैं।

9. धारा 9, 10 और 22 इस ढांचे को सुदृढ़ और पूरा करती हैं। धारा 9 केंद्र सरकार को नियमों द्वारा उन शर्तों को निर्धारित करने में सक्षम बनाती है जिनके अधीन और किस रूप में पासपोर्ट जारी किया जाएगा या नवीनीकृत किया जाएगा। यह केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से, निर्धारित शर्तों के अलावा प्रकरण-विशिष्ट शर्तों को लागू करने की भी अनुमति देता है। धारा 10 बाद के चरण में संचालित होती है और पासपोर्ट जारी होने के बाद उसके जीवन से संबंधित होती है। यह पासपोर्ट प्राधिकरण को परिभाषित स्थितियों में, पासपोर्ट के उत्पादन की आवश्यकता और इसे जब्त करने या रद्द करने का अधिकार देता है। धारा 10(3)(e) के तहत ऐसी ही एक स्थिति यह है कि धारक द्वारा कथित रूप से किए गए अपराध के संबंध में कार्यवाही भारत में एक आपराधिक न्यायालय के समक्ष लंबित है। धारा 22 तब केंद्र सरकार को यह शक्ति प्रदान करती है, जहां वह सार्वजनिक हित में आवश्यक या समीचीन समझती है, किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को अधिनियम या नियमों के निर्दिष्ट प्रावधानों के संचालन से छूट देने के लिए, शर्तों के अधीन। इस



शक्ति का प्रयोग करते हुए जीएसआर 570 (ई) जारी किया गया था, जो आपराधिक कार्यवाही का सामना करने वाले व्यक्तियों के पक्ष में धारा 6(2)(एफ) में बार से नियंत्रित छूट बनाता है जो संबंधित न्यायालय से अनुमति प्राप्त करते हैं और उस अधिसूचना में निर्धारित शर्तों का पालन करते हैं।

10. एक सादे पढ़ने पर, जीएसआर 570 (ई) दो काम करता है। सबसे पहले, यह मानता है कि आपराधिक कार्यवाही का सामना करने वाले व्यक्तियों को पासपोर्ट के लिए पूरी तरह से अयोग्य नहीं माना जाना चाहिए। इसके बजाय, यह ऐसे व्यक्तियों को पासपोर्ट प्राप्त करने की अनुमति देता है, धारा 6 (2) (एफ) के बावजूद, जहां संबंधित आपराधिक न्यायालय ने अपना दिमाग लगाया है और पासपोर्ट जारी करने या उपयोग के संबंध में एक आदेश पारित किया है और जहां आवेदक आवश्यकता पड़ने पर न्यायालय के समक्ष पेश होने का वचन देता है। दूसरे, यह पासपोर्ट की वैधता और उपयोग को न्यायालय के आदेश की शर्तों से जोड़कर उस छूट के प्रयोग की संरचना करता है। इस प्रकार, जहां न्यायालय उस अवधि को निर्दिष्ट करती है जिसके लिए पासपोर्ट जारी किया जाना है, पासपोर्ट प्राधिकरण को उस अवधि का सम्मान करना चाहिए। जहां न्यायालय किसी भी अवधि को निर्धारित नहीं करती है, अधिसूचना डिफॉल्ट नियम प्रदान करती है, जिसमें उपयुक्त प्रकरण में छोटी अवधि, आमतौर पर एक वर्ष के लिए जारी करना शामिल है। अधिसूचना जो नहीं करती है, वह धारा 6 (2) (एफ) से परे एक नया मूल मानक बनाने के लिए है, या इस बात पर जोर देना है कि आपराधिक न्यायालय को, हर प्रकरण में, पासपोर्ट जारी करने या फिर से जारी करने के लिए एक क्षेत्राधिकार पूर्व शर्त के रूप में निर्दिष्ट तिथियों के लिए भारत से प्रस्थान करने की पूर्व अनुमति देनी चाहिए।

11. दिनांक 10.10.2019 का कार्यालय ज्ञापन एक नई व्यवस्था नहीं बनाता है। यह दोहराता है कि जीएसआर 570 (ई) को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए, उस प्रक्रिया की व्याख्या करता है जहां आपराधिक प्रकरण लंबित हैं और यह स्पष्ट करता है कि अनापत्ति प्रमाण पत्र या आपराधिक न्यायालय से अनुमति, आवेदक के वचन के साथ पढ़ा जाता है, पासपोर्ट अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए कारणों के साथ एक प्रतिकूल पुलिस रिपोर्ट को ओवरराइड कर सकता है। यह उन स्थितियों पर भी विचार करता है जहां एक से अधिक अदालतें प्रकरण को देख रही हैं और इंगित करती हैं कि ऐसी सभी न्यायालयों के आदेशों



को एक साथ पढ़ा जाना है। इस प्रकार ओएम धारा 6(2)(एफ), धारा 22 और जीएसआर 570(ई) के तहत स्थिति का एक प्रशासनिक पुनर्कथन है, और अधिसूचना द्वारा दी जाने वाली छूट को जोड़ या कम नहीं कर सकता है।

18. एक और पहलू है। विद्वान एकल न्यायाधीश ने दिल्ली प्रकरण में दोषसिद्धि को धारा 6(2)(एफ) के तहत इनकार करने के लिए एक अतिरिक्त कारण के रूप में माना। हालांकि, इस न्यायालय ने वंगला कस्तूरी रंगाचर्युलु बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो 2021 एससीसी ऑनलाइन एससी 3549 में पहले ही एक आपराधिक न्यायालय में मुकदमे का सामना कर रहे एक आरोपी और एक व्यक्ति के बीच स्पष्ट अंतर किया है जिसे दोषी ठहराया गया है और अपील कर रहा है और यह पासपोर्ट जारी करने को कैसे प्रभावित कर सकता है। इस निर्णय के प्रासंगिक पैरा इस प्रकार हैं:

7. पासपोर्ट से इनकार केवल उस स्थिति में हो सकता है जहां एक आवेदक को 5 साल की अवधि के दौरान दोषी ठहराया जाता है, नैतिक अधमता से जुड़े अपराध के लिए आवेदन की तारीख को तुरंत आगे बढ़ाया जाता है और कम से कम दो साल के लिए कारावास की सजा होती है।

8. धारा 6 2 (एफ) एक ऐसी स्थिति से संबंधित है जहां आवेदक एक आपराधिक न्यायालय में मुकदमे का सामना कर रहा है।

9. माना जाता है कि वर्तमान में, अपीलकर्ता की दोषसिद्धि अभी भी आपराधिक अपील का निपटान है। उसे जो सजा भुगतनी होती है वह एक वर्ष की अवधि के लिए होती है। पासपोर्ट प्राधिकरण आपराधिक अपील के लंबित रहने के आधार पर पासपोर्ट के नवीनीकरण से इनकार नहीं कर सकता है।

10. पासपोर्ट प्राधिकरण को निर्देश दिया जाता है कि वह इस न्यायालय में आपराधिक अपील के लंबित होने से संबंधित आपत्ति उठाए बिना आवेदक के पासपोर्ट को नवीनीकृत करे। अन्य शर्तों को पूरा करने के अधीन, इंटरलोक्यूटरी आवेदन का निस्तारण किया जाता है।

24. अंत में, यहां तक कि उत्तरदाताओं के जीएसआर 570 (ई) के स्वयं के पढ़ने पर भी, एक आदेश का परिणाम जो वैधता की लंबी अवधि को निर्दिष्ट नहीं करता है, यह है कि



पासपोर्ट को छोटी अवधि के लिए जारी किया जाना चाहिए, आमतौर पर एक वर्ष, और न कि नवीनीकरण को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए। विद्वान एकल न्यायाधीश और डिवीजन बेंच ने इस पहलू की जांच नहीं की, क्योंकि वे इस आधार पर आगे बढ़े कि अपीलकर्ता पूरी तरह से छूट से बाहर खड़ा था। एक बार जब यह स्वीकार कर लिया जाता है कि अपीलकर्ता छूट प्राप्त वर्ग के भीतर है, तो पासपोर्ट प्राधिकरण के लिए सही प्रश्न प्रकरण के तथ्यों में वैधता की उचित अवधि है, न कि किसी भी नवीनीकरण की अनुमति है या नहीं। वर्तमान प्रकरण में, यह देखते हुए कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से दस साल के लिए नवीनीकरण को अधिकृत किया है और एनआईए न्यायालय ने यात्रा के लिए फिर से जमा करने और पूर्व अनुमति सहित कड़ी शर्तें लगाई हैं, हमें वैधता की सामान्य अवधि को कम करने का कोई औचित्य नहीं दिखता है।

25. उपरोक्त चर्चा के आलोक में, हम विद्वान एकल न्यायाधीश और डिवीजन बेंच द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण को बनाए रखने में असमर्थ हैं। दोनों ने धारा 6 2 (एफ) को एक पूर्ण बार के रूप में माना है, जब तक कि कोई भी आपराधिक कार्यवाही लंबित है, धारा 22 और जीएसआर 570 (ई) के तहत वैधानिक छूट तंत्र को पूर्ण प्रभाव दिए बिना, और पर्याप्त रूप से सराहना किए बिना कि वास्तव में अपीलकर्ता के प्रकरण से निपटने वाली आपराधिक न्यायालयों ने किसी भी विदेश यात्रा पर कड़ा नियंत्रण बनाए रखते हुए जानबूझकर नवीनीकरण की अनुमति दी है। वास्तव में, उन्होंने एक योग्य प्रतिबंध को परिवर्तित कर दिया है, जिसे एक अभियुक्त की उपस्थिति को सुरक्षित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, एक वैध पासपोर्ट रखने के लिए लगभग स्थायी विकलांगता में बदल दिया है, यहां तक कि जहां आपराधिक अदालतें स्वयं इस तरह की विकलांगता को आवश्यक नहीं मानती हैं।

26. हम स्पष्ट करते हैं कि हमारे निष्कर्ष वर्तमान प्रकरण के तथ्यों पर पासपोर्ट अधिनियम, जीएसआर 570 (ई) और दिनांक 10.10.2019 के कार्यालय ज्ञापन की धारा 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 22 के बीच कानूनी परस्पर क्रिया तक ही सीमित हैं। हम एनआईए न्यायालय, रांची के समक्ष लंबित आपराधिक कार्यवाही के गुण-दोष पर या दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित अपील पर कोई राय व्यक्त नहीं करते हैं, न ही हम कानून के अनुसार विदेश



यात्रा से संबंधित शर्तों सहित जमानत की शर्तों को बदलने, मजबूत करने या शिथिल करने के लिए उन न्यायालयों की शक्ति को किसी भी तरह से कम करते हैं।

27. यह देखने की आवश्यकता नहीं है कि इस निर्णय में कुछ भी पासपोर्ट अधिनियम की धारा 10 के तहत पासपोर्ट प्राधिकरण की शक्तियों को कम नहीं करता है। यदि किसी सक्षम न्यायालय के भविष्य के किसी भी आदेश, या किसी भी बाद के विकास के लिए अपीलकर्ता के पासपोर्ट को जब्त करने या रद्द करने की आवश्यकता होती है, तो यह धारा 10 और अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार कार्य करने के लिए प्राधिकरण के लिए खुला होगा। समान रूप से, यदि अपीलकर्ता एनआईए न्यायालय, रांची या दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई किसी भी शर्त का उल्लंघन करता है, तो उन न्यायालयों के लिए जमानत में संशोधन और अनुमतियों को वापस लेने सहित ऐसे कदम उठाने के लिए खुला होगा, जैसा कि आवश्यक हो सकता है।”

11. कार्यालय ज्ञापन के प्रावधानों के साथ-साथ पासपोर्ट अधिनियम के प्रावधानों की व्याख्या पर, यह स्पष्ट है कि पासपोर्ट जारी करना और न्यायालय की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ने की शर्तें दो अलग-अलग चीजें हैं। वर्तमान प्रकरण में जमानत आदेश में भी, आवेदक पर विदेश यात्रा के लिए इस तरह का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, इस प्रकार, महेश कुमार अग्रवाल (पूर्वोक्त) के प्रकरण में निर्धारित तर्क और कानून के आधार पर, आक्षेपित आदेश को उचित नहीं ठहराया जा सकता है।

12. आक्षेपित आदेश इस आधार पर आधारित है कि आवेदक के विदेश यात्रा के अधिकारों पर कोई प्रतिबंध लगाया गया था, जबकि जमानत आदेश में भी आवेदक पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया था, इस प्रकार, दिनांक 30.06.2025 को आक्षेपित आदेश को रद्द कर दिया जाता है।

13. पासपोर्ट प्रदान करने के लिए आवेदक को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए विचारण न्यायालय को निर्देश जारी किए जाते हैं, जिस पर 10 वर्ष की सामान्य अवधि के लिए कार्रवाई की जाएगी।

14. हालांकि यह अभियोजन पक्ष के लिए खुला होगा कि वह जमानत आदेश की स्थिति में बदलाव की मांग करे, यदि वांछित हो, तो लंबित प्रकरण में अभियोजन पक्ष द्वारा अभियोजन पक्ष द्वारा दलील दी जा सकने वाली आकस्मिकताओं के आधार पर ऐसा हो।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



15. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक के पासपोर्ट का नवीनीकरण पासपोर्ट प्राधिकरण द्वारा विधि अनुसार दस साल की अवधि के लिए किया जाएगा।

16. प्रार्थना पत्र **स्वीकृत** किया जाता है।

17. यह न्यायालय वर्तमान प्रकरण का निर्णय लेने में सुश्री राजश्री लक्ष्मी, रिसर्च एसोसिएट/लॉ क्लर्क द्वारा प्रदान की गई सहायता के लिए अपनी सराहना दर्ज करता है।

दिनांक: 07.01.2026

(न्यायमूर्ति पंकज भाटिया)

एकेवर्मा